अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2003

का.आ. 1372(अ).– जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 388(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वात्सल्य आश्रम,103,मयूरी होम्स,रिंग रोड,कोरटीटापाडू,गुन्टूर,आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 5 स्थित पेडाकाकानी,निकट 7 वाँ किमी0,गुन्टूर,आंध्र प्रदेश में भवन निर्माण, साज-सज्जा तथा वृद्धों और अनाथों के घरों हेतु वाहनों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 19 पर विनिर्दिष्ट किया था तथा जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर,2000 की अधिसूचना सं0सा0आ0 868 (अ0) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ङ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वात्सल्य आश्रम,103,मयूरी होम्स,रिंग रोड,कोरटीटापाडू,गुन्टूर,आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 5 स्थित पेडाकाकानी,निकट 7 वाँ किमी0,गुन्टूर,आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही भवन निर्माण, साज-सज्जा तथा वृद्धों और अनाथों के घरों हेतु वाहनों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक सौ उनतालीस लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 324/2003/फा. सं. एन.सी.-240/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)